

नियमावली

- 1- संस्था का नाम - बैर्ली प्रशाग शिक्षा तमिति ।
- 2- संस्था का पता - ग्राम- बैर्ली पोस्ट- गारापुर
तहसील- फूलपुर जिला इलाहाबाद ।
- 3- संस्था का कार्य केंद्र- समस्त उत्तर प्रदेश ।
- 4- संस्था का उद्देश्य -

 - 1- शिक्षा विभाग द्वारा त्वीकृत तामान्य औद्योगिक शिक्षण
एवं तामाजिक शिक्षा प्रदान करना ।
 - 2- ऐसी शिक्षा प्रदान करना जिसके द्वारा बाल एवं बालिये
शिक्षित होकर अपना भविष्य मंगलमय बना सके ।
 - 3- ग्रामीण क्षेत्र के लभो वार्ग के बाल एवं बालियों को शिक्षा
करना ।
 - 4- तमिति के उन्नती भ्रो दाव नारायण एवं यात्रियों
विद्यालय एवं प्रशाग नर्सरी- बैर्ली, फूलपुर बाबा को स्थापना करना
एवं उसका दृष्टान्त सेवन करना ।
 - 5- नैतिक, धार्मिक एवं तामाजिक शिक्षा द्वारा बच्चों का सतर्गिण
विकास करना ।
 - 6- तमिति द्वारा जन कल्याणकारों योजनाएँ बनाकर समाज को
सेवा करना ।
 - 7- पारस्परिक सहयोग एवं राष्ट्रीयता को बढ़ावा देना ।
 - 8- पुस्तकालय एवं वाचनालय को स्थापना करना ।
 - 9- भेदभाव की भावना दूर कर नागरिकों में सहानुभव की भावना
को जागृत करना ।
 - 10- जनहित में शिक्षा का प्रतार व प्रचार करना ।
 - 11- अन्य जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान करना ।

संस्था का नाम- बैर्ली प्रशाग शिक्षा तमिति
कार्य केंद्र- ग्राम- बैर्ली पोस्ट- गारापुर
तहसील- फूलपुर जिला इलाहाबाद ।

5- संस्था की सदस्यांतथा सदस्यों के वर्ग-आजीवन सदस्य

जो व्यक्ति संस्था को कम से कम एक बार में 500/- रुपये पर द्वारा
में अधिक मूल्य की एवं जरूरता अचल सम्पत्ति संस्था को दान स्वरूप हो
संस्था के आजीवन सदस्य माने जायेगे।

साधारण सदस्य

जो संज्ञन संस्था के हितार्थ 10/- रुपये वार्षिक 31 मार्च तक पर एक
मुश्त 100/- रुपये वर्षा के रूप ~~देखें~~ से संस्था के साधारण सदस्य माने
जायेगे।

6- सदस्यांतथा की समाप्ति -

- 1- मृत्यु होने पर।
- 2- पागल जरूरता दिवालिया होने पर।
- 3- संस्था के प्रति हानिकारक कार्य करने पर।
- 4- द्याग पत्र जरूरता जलिश्वास प्रताव पात दोने पर।
- 5- लगातार तीन बैल्फ में अनुपस्थिति रहने पर।
- 6- किसी न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
- 7- नियमित रूप से संस्था को सदस्या शुल्क न देने पर उसकी सदस्यांतथा
का समाप्त कर दी जायेगा।

7- संस्था के अंग -

[अ] साधारण सभा

[ब] प्रबन्धकारिणी समिति ।

8- साधारण सभा -

गठ

सभी प्रकार के सदस्य भिन्न साधारण सभा का गठन करें।

कैलं

साधारण सभा को सामान्यतः वर्ष में एक बार बैल्फ होगी,
तिरेष बैल्फ किसी भी समय जटिया के आदेशानुसार दुलाई जा
लकरी है।

तूना अधिकारी

ता मान्य बैल को तूना 7 दिन पूर्व हथा चिगेड़ देख को तूना 5 दिन पूर्व लिखि तूना के आधार पर तभो सदस्यों को जो जाएगो ।

गण्डुर्ति

ता धारण तभा को गण्डुर्ति कुल सदस्यों के 2/3 बहुमा पर होगो । अगर किसी कारण वश बैल स्थगित हो जाती है, तो उन स्थगित बैलों के लिए कोरम को बोई आवश्यकता नहीं होगी, जो उन्हाँ इन कोरम के भाव में हुनाई जा सकती है ।

वार्षिक अधिकार दो तिथि

ता धारण तभा का वार्षिक अधिकार दो तिथि आए जाएं, जितको तिथि ता धारण तभा के बहुमा के आधार पर तय को जायेगो ।

ता धारण तभा के अधिकार संवेदनार्थी

- 1- प्रबन्ध कारिणी समिति का हुनाव करना ।
- 2- संस्था का वार्षिक बजट एवं वार्षिक रिपोर्ट करना
- 3- कोई भी तंगोध 2/3 बहुमा से पात करना
- 4- प्रबन्ध कारिणी समिति -

गल

ता धारण तभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों के आधार पर प्रबन्ध कारिणी समिति बाटिको जायेगी जिसमें निम्नलिखि तदस्य संवेदनार्थी शामिल होंगे ।

१- अध्यक्ष-१, उपाध्यक्ष-१, मंत्री-१, उपमंत्री-१, कोषाध्यक्ष-१, तथा भेज सात सदस्यों के आधार पर प्रबन्ध कारिणी समिति का गल होगा ।

बैल

प्रबन्ध कारिणी समिति को ता मान्य बैल वर्ष में लौन बार अवश्य होगी तिथेप परिविधि में बैल किसी भी समय आद्वृत को जा सकती है ।

प्रबन्ध कारिणी समिति
ता मान्य बैल
प्रबन्ध कारिणी समिति

सूचना अवधि

तामान्य बैठक की सूचना ३ दिन पहले सभी पदाधिकारियों ने दो जागेणों तथा विशेष बैठक की सूचना विशेष नियमाला के अन्त २४ घंटे युर्न सूचना देकर दूनाई जा नहीं है ।

गण्डुर्ति

प्रबन्धकारिणी समिति को गण्डुर्ति का २०२१ द्वेषीय संघर्ष
बैठक के लिए कोर्टम को कोई आवश्यकता नहीं नहीं ।

रिक्त स्थानों को पूर्ण

प्रबन्धकारिणी समिति के इनार्ही रिक्त स्थान पर उपचारितम् रिक्त
को पूर्ण गेझ साधारण सभा के तदस्थीर्ण के बहुमत के माध्यारार तथा बैठक
के लिए को जागेणी जिसमें अध्यक्ष की अनुमति नेता उनिवार्द्द होगा ।

प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य

- 1- संस्था को उन्नति के लिए आवश्यक कार्य करना ।
- 2- वार्षिक बजट तथा वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना ।
- 3- संस्था द्वारा दियों को नियुक्ति द्वारा पदोन्नति करना ।

कार्यालय

- प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यालय ५ वर्ष के लिए होगा ।
10- प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के प्रधानार्थ पर्यं कर्तव्य

अध्यक्ष

1- अध्यक्ष का अधिकार सर्वोपरि होगा, वह स्वांत्र स्वयं से समिति के
हित में कार्य कर सकेंगे ।

2- संस्था का अध्यक्ष आजीवन सदस्य रहेगा तथा उसका दूनाव नहीं
होगा उनके मरणोपरान्त उसका उत्तराधिकारी हो जाना भास्तव चाहिए
करेगा ।

- 3- समिति का बैठकों को अध्यक्षार करना, बैठक के लिए दिन अनुमति दिया
करना, परिवर्तन करना तथा स्थगित करना ।
- 4- संस्था ते सम्बन्धित समस्त अनुबंधों पर हसाइर करना । तथा
संस्था की उत्तराधिकारिता से सम्बन्धित स्थानान्तरण करना ।
- 5- समिति के विवाद ग्रन्त मामले में अपना एक निजी विर्णायक मा देना ।
- 6- संस्था के विस्तृद्वारा नहीं कभी युद्धमों को ऐश्वरी करना ।

- 7- आपातिक विद्युति पर प्रबन्धका रिणी अभियोग को भेज करने के नौ प्रबन्धका रिणी अभियोग गठित कर सकता है ।
 8- आप उपयोग के लिए-जोड़े लो जांच करना ।
 9- अध्यापकों से शुरूर्थ कर्मवारियों को नियुक्ति या बदलाव करना ।
 10- प्रधानाचार्य को तिपत्र रिस पर अध्यापकों को जू भे जारी कर द्याना ।
 11- प्रधानाचार्य के द्वेष ते बाहर अध्यापकों को प्रकाश प्रदान करना ।

उपाध्यक्ष

- 1- अध्यक्ष के कार्यों में सहयोग देना ।
 2- अध्यक्ष को अनुपस्थिति में उसके सभी अधिकारों के सहयोग करना जो अध्यक्ष द्वारा नियमित दिन गए हों ।

मंत्री

- 1- तंत्या सम्बन्धी समस्त पत्र व्यवहार आ चिह्नित करना ।
 2- एक और समिति दूसरी ओर प्रधानाचार्य जै अध्यम से संरचित कर्मजीवी वर्ग विधा विभाग तथा बोर्ड के बीच एक व्यवहार के नामान्य माध्यम के रूप में कार्य करना ।
 3- तंत्या के लिए समस्त अनुदान दान वन्दा प्राप्त करना और तंत्या को सम्पत्ति और धनराशि को दूरकृत अभियोग तथा विनियोजना की व्यवस्था करना तथा संत्या के हित में प्रशासन एवं नियन्त्रण करना ।
 4- अध्यक्ष के बिना अनुस्ति के मंत्रों कोई भी वैकल्पिक संघर्ष कर सकता है ।

उपमंत्री

- मंत्रों को अनुपस्थिति में उसके सभी अधिकारों का उपयोग करना जो मंत्रों द्वारा नियंत्रित हो ।

कोषाध्यक्ष

- 1- तंत्या के समस्त निधियों तथा धनराशि का लेख रखना ।
 2- मंत्रों एवं अध्यक्ष के साथ संयुक्त रूप से संत्या के तमों उपयोगी संचालन करना ।
 3- संत्या के तमसा निधियों को देख रेख करना ।
 4- आप-क्षम्य का विवरण लेयार करना और ऐव परोड़िट के साथ उसे समिति के तमसा उत्साह करना ।
 5- अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित विलें का भगवान करना ।

11- संस्था के नियमों एवं विनियमों के संगोधन प्रक्रिया

संस्था के नियमों एवं विनियमों में तंत्रीधर प्रक्रिया साधारण तभा के अभी प्रकार के सदस्यों के २/३ प्रकार के बहुमा के आधार पर किया जायेगा।

12- संस्था का कोष -

संस्था का समस्त कोष किसी मानका प्राप्त रैक अथवा पोस्ट आफिस में मंत्री जमा कुरेगा तथा निकालने के लिए अधिक्षम, मंत्री दोनों में से एक के हस्ताधिकर के द्वारा कोई भी धन नहीं निकाला जा सकेगा।

13- संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण -

संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण किसी सुपोर्न अडीटर द्वारा प्रतिवर्षी कराणा जायेगा।

संस्था द्वारा अथवा उसके विलक्ष अदातारे कार्यवाही के तंत्रालं का उत्तराधिकारी प्रति -

संस्था द्वारा अथवा उसके विलक्ष द्वारे वाले सभी शुल्कों को पैरवी अथवा उसके द्वारा उपकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो जायेगी।

14- संस्था के अभिभाव -

1- संस्था रजिस्टर

2- कार्यवाही रजिस्टर

3- स्टाफ रजिस्टर

4- कैश्बुक जादि

15- इन्हों के क्रियतन और क्रियानि तमसि पे निस्ताल के कार्यवाही तो साइटोव रजिस्ट्रेशन अधिनियम को धारा 13-14 के अन्तर्गत को जायेगी।

दिनांक -

१८ संप्रति लिपि ३

हस्ताधिकर

प्रारंभ दिनांक

संस्था नियमालाय

दिनांक १८/११/१९४८

फौर्य अधिकारी प्रक्रिया विधान

दिनांक १८/११/१९४८

१५. ११.०१